

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, बायतु
राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार, 2018
(केम्प कोर्ट, कानोड़)

क्रमांक / न्याय आपके द्वार / कोर्ट / 2018 / 256
प्रार्थी बनाम

दिनांक:- 18/05/2018

विप्रार्थीगण

1. श्री धोपाराम पुत्र फूसाराम वगैरा 6
जातियान्-दर्जी,
निवासीयान्-खरथाणियों की ढाणी,
कानोड़, तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर

1. श्री खेताराम पुत्र जवाराराम वगैरा 13
निवासीयान्-खरथाणियों की ढाणी, कानोड़,
तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 ,111राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या :- 145/18

आदेश

मौजा खरथाणियों की ढाणी पटवार हल्का कानोड़ के खेत खसरा नम्बर 778/90, 780/640 रकबा क्रमशः 07.18, 03.09 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण से उनके खेतों का सीमाज्ञान करवाकर, वे स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भूअनिरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों के चारो तरफ सेढा पड़ोसियों को नोटिस देने के बाद, दोनो पक्षों की उपस्थिति में, प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक / न्याय आपके द्वार / कोर्ट / 18 / 257 + 6
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, गिड़ा।
2. पटवारी हल्का, कानोड़ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री धोपाराम पुत्र फूसाराम वगैरा 6।
4. विप्रार्थी श्री खेताराम पुत्र जवाराराम वगैरा 13।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।

(हेताराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक 18/05/2018

उपखण्ड अधिकारी बायतु

7. अमेदाराम पुत्र काछबाराम

चंद नमक